

169/25

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट मेदेकापुरा

2025/479

नीरासिंह बनाम हरकाल

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 14.10.25

पटवारी हल्का मेदेकापुरा भू अभिलेख निरीक्षक के.ए.डी. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम मेदेकापुरा खाता संख्या 16, 21, 22, 102 निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्धि उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	<u>मेदेकापुरा</u>	<u>16</u>		<u>नीरासिंह</u>	<u>नीरासिंह</u>	
02.		<u>21</u>				
03.		<u>22</u>				
04.		<u>102</u>				

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट.....

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

02. पटवारी, पटवार हल्का.....।

03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

